

FORM OF ORDER SHEET

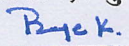
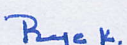
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Arms Appeal Case No.- 43 /2024]

Gopal Kumar.....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>21.10.2025</u>	आदेश यह आर्म्स अपील वाद जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1683/सा0 दिनांक-03.7.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं0-10714/2023 में दिनांक-17.8.2023 को पारित आदेश के आलोक में श्री गोपाल कुमार, पिता-स्व0 सत्यनारायण सिंह, सा0-केशावे, थाना-बरौनी रिफाईनरी, जिला-बेगूसराय द्वारा दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-10.10.2025 को विद्वान सरकारी अधिवक्ता के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। अपीलार्थी की ओर से विगत कई तिथियों पर पैरवी नहीं रहने के आलोक में दिनांक-05.7.2025 को सुनवाई के उपरांत पारित आदेश द्वारा उनको अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बावजूद उनकी ओर से कोई पैरवी वाद में नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस वाद का समयबद्ध निस्तार किया जाना है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के एन0पी0 बोर राईफल अनुज्ञप्ति सं0-61/4894 एवं एन0पी0 बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-47/4880 को जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-121/शस्त्र दिनांक-13.4.2023 के द्वारा रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में जिला दण्डाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा के आदेशानुसार जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक-1683/सा0 दिनांक-03.7.2023 के द्वारा रद्द (Cancel) किया गया। अपीलाधीन आदेश के अनुसार वादी गोपाल कुमार, पिता-स्व0 सत्यनारायण सिंह, सा0-केशावे, थाना-बरौनी रिफाईनरी, जिला-बेगूसराय के विरुद्ध बरौनी रिफाईनरी थाना कांड सं0-137/23 दिनांक-19.3.2023 धारा-188 भा0द0वि0 दर्ज होने के आधार पर जिला दण्डाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके एन0पी0 बोर राईफल अनुज्ञप्ति सं0-61/4894 एवं एन0पी0 बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-47/4880 को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 के तहत रद्द (Cancel) किया गया है। अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय के अनुशंसा के आधार पर पारित किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश में Arms Act. 1959 के Section-17(5) के तहत Reasons for Revocation of Arms License अंकित है। Petitioner की ओर से अपीलाधीन आदेश में अंकित Findings को Disprove करने हेतु कोई साक्ष्य अथवा अन्य कोई तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वादी के विरुद्ध कानून के उल्लंघन के संदर्भ में मुकदमा दर्ज रहने के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय के अनुशंसा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।  21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।  21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

